12.3.22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादी क्र. 1 से 3 की ओर से [illegible] के वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 ने लिखित उप. राजीनामा पेश किया, वादीगण की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शा. पत्रा. किया गया।

अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, माल रेकार्ड, नकल जमाबंदी, [illegible]

वाद स्वीकार है

वादीगण

वकील प्रतिवादीगण

[illegible]

[illegible]

पन्ना बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के आधार कोई तथ्य प्रमाणित होना
है विवादित भूमि के इनके कब्जा में है जोकि पत्र
किये है के सबूत है, जोकी निम्नलिखित के वादीगण
का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत
होता है। अतः प्रकरण में स्वीकार/खारिज
किया जाता है, निम्नलिखित प्रबन्ध/आदेश(आज)
जारी आदेश किया जाता।

पत्रावली फैसल शुमार कीजाकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 25/2022

तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

1. किशनगोपाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना जाति धाकड निवासी ग्राम मोईकलां
2. बद्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ काना जाति धाकड निवासी ग्राम मोईकलां
3. रामकुंवार पुत्र कनहैयालाल उर्फ काना जाति धाकड निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. चन्द्रकलां पुत्री कन्हैयालाल उर्फ काना पत्नी द्वारकालाल जाति धाकड निवासी ग्राम मोईकलां हाल निवासी ग्राम हालीहेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2. रामकन्या पुत्री कन्हैयालाल उर्फ काना पत्नी हुकमचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम मोईकलां हाल निवासी ग्राम बाछीहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
3. चन्दाबाई पत्नी शंकरलाल जाति तेली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादीगण)

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 21 कुल किता 9 की कुल 4.00 हैक्टर आराजीयात स्थित है, आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
डोबडा	नई 21	185	0.06
		558	0.05
		562	0.04
		563	0.03
		566	0.52
		666	1.31
		675	0.23
		676	0.08

कुल किता 9 की कुल 4.00 हैक्टर आराजी

वाद पत्र में वर्णित आराजी माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद के खसरा नं0 658 की 1.68 हैक्टर आराजी में से 0.40 हैक्टर आराजी नहर में चली गई है, जिससे अब खसरा नं0 658 की 1.68 हैक्टर में से 1.28 हैक्टर आराजी शेष बची है, जिसे वाद पत्र की में वर्णित कुल 9 किता की 4.00 हैक्टर के बजाए 3.60 हैक्टर आराजी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से मुताबिक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 सगे बहन–भाई हैं तथा प्रतिवादी नं0 3 को सहखातेदार द्वारा आराजी बेचान कर दिये जाने से प्रतिवादी नं0 3 चन्दाबाई सहखातेदार है, जिसका राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, उक्त 1/3 हिस्से की एवज में प्रतिवादी नं0 3 चन्दाबाई खसरा नं0 666 की 1.31 हैक्टर आराजी पर काबिज काश्त है तथा शेष आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का सहखातेदार वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता राजीबाई उर्फ रामीबाई पत्नी स्व0 कांना उर्फ कन्हैयालाल का दिनांक 08.11.2009 को देहान्त हो गया है, जिसके विधिक वारिसान वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

प्रतिवादी नं0 1 व 2 है, जो उक्त वाद में पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में सहखातेदार राजीबाई उर्फ रामीबाई का नाम वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड से डिलीट किया जाना आवश्यक है तथा उसके हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हिस्से में समाहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 सगे बहन–भाई है, जिससे वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 एक दूसरे से काफी आत्मीय स्नेह व प्रेम रखते हैं, जिससे प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से व माता से प्राप्त होने वाला हिस्सा सहित बनने वाली हिस्सा आराजी को अपनी स्वेच्छा से, राजी–खुशी से अपनी माता के स्वर्गवास के उपरान्त यानि करीब 10–12 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से वादीगण के हक में बांट बराबर से रिलीज कर दिया है, जिससे उक्त वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण ही बांट बराबर से शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

वादीगण के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में काना है, जबकि वादीगण के पहचान के दस्तावेज व अन्य सभी दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल है। वादीगण के पिता को काना व कन्हैयालाल दोनों ही नामों से जाना जाता है, लेकिन वादीगण के सभी दस्तावेजों में कन्हैयालाल नाम दर्ज होने से वादीगण को नाम की भिन्नता के कारण आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पडता है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम काना के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करवाना भी आवश्यक हुआ है।

वाद ग्रस्त आराजीयात शामलाती खाते में दर्ज होने से वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी का समना करना पडता है तथा सरकार से मिलने वाले अनुदान व सहायता राशि से भी वंचित होना पड रहा है, जिसके लिए वादीगण द्वारा पटवारी हलका से नाम दुरस्ती कर बंटवारा करवाने के लिए कहने पर उनके द्वारा न्यायालय में जाकर दुरस्ती करवाने व न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.16 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 21 कुल किता 9 की कुल 4.00 हैक्टर आराजीयात की सहखातेदार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता राजीबाई उर्फ रामीबाई पत्नी स्व0 काना उर्फ कन्हैयालाल का दिनांक 08.11.2009 को स्वर्गतवास हो जाने व उसके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 सहखातेदार होने से राजीबाई उर्फ रामीबाई का नाम वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिर्काड से डिलीट किया जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से व माता के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त होने वाले हिस्से सहित की मौखिक रूप से वादीगण के हक में वसीयत कर देने से वादीगण को माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 21 के खसरा नं0 185, 558, 562, 563, 566, 658, 675, 676 कुल 8 किता की आराजी कुल 2.29 हैक्टर, जो खसरा नं0 658 की 1.68 हैक्टर आराजी में से 0.40 हैक्टर आराजी नहर में चली जाने के बाद बची है, का वादीगण को बांट बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा शेष बची खसरा नं0 666 की 1.31 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी नं0 3 चन्दाबाई पत्नी शंकरलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। साथ ही वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का नाम काना को दुरस्त कर कन्हैयालाल दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावें। उक्त घोषणा अनुसार खसरा नं0 185, 558, 562, 563, 566, 658, 675, 676 कुल 8 किता की आराजी कुल 2.29 हैक्टर आराजी की वादीगण के हक में एव खसरा नं0 666 की 1.31 हैक्टर आराजी की प्रतिवादी नं0 3 चन्दाबाई पत्नी शंकरलाल के हक में विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जाकर राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी सं. 4 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता ने एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, रामीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र, वादीगण के आधार कार्ड आदि से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 21 कुल किता 9 की कुल 4.00 हैक्टर आराजी में खसरा नं0 666 की 1.31 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी नं0 3 चन्दाबाई पत्नी शंकरलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता के गलत दर्ज नाम काना को दुरूस्त कर कन्हैयालाल दर्ज किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता राजीबाई उर्फ रामीबाई पत्नी स्व0 काना उर्फ कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के कारण राजीबाई उर्फ रामीबाई का नाम खाते से डिलीट किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से की आराजी का वादीगण के पक्ष में हकत्याग करने के कारण खाता सं. 21 के खसरा नं0 185, 558, 562, 563, 566, 658, 675, 676 कुल 8 किता की आराजी कुल 2.29 हैक्टर आराजी में वादीगण को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के खाता विभाजन कर राज लगान का पृथक–पृथक अंकन किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(अंजलु मालस्टर)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद